

कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी आजमगढ़

पत्रांक-एन0एच0एम0/वाहन/निविदा/2017-18


4621-23

दिनांक 01 जुलाई 2017

अल्पकालीन निविदा

जिला स्वास्थ्य समिति के अनुमोदन दिनांक 28.03.2017 के क्रम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जनपद मुख्यालय एवं ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य इकाईयों हेतु वाहन की आवश्यकता है। सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा पंजीकृत इच्छुक सक्षम ट्रवेल्स एजेंसीयों एवं वाहन स्वामियों से मोहर बन्द लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसके लिए नियमानुसार ईंधन, ड्राइवर, मेन्टिनेन्स सहित वाहन किराया देय होगा। निविदा फार्म मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमाकर दिनांक 03.07.17 से 20.07.17 तक किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म दिनांक 21.07.17 को निविदा पेट्टी में अपराह्न 01:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में डाली जायेगी तथा उसी दिन अपराह्न 2:00 बजे निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। अन्य नियम व शर्तें निविदा प्रपत्र पर अंकित हैं जो लागू होगा तथा यह निविदा जिले की वेबसाइट www.azamgarh.nic.in पर उपलब्ध है।

क्रम सं०	कार्यक्रम का नाम	वांछित वाहनों की सं०	अधिकतम स्वीकृत प्रति वाहन सभी करों सहित मासिक	अरनेस्ट धनराशि	निविदा मूल्य	वाहन का प्रकार
1	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हेतु	42	30000.00	3000.00	500.00	टैक्सी परमिट सहित चार पहिया वाहन छः लोगों को बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो (बोलेरो, टाटा सूमो, ट्रवेरा, इनोवा, वींगर, स्कार्पियो) नये वाहनो को वरीयता।
2	सहयोगतामक पर्यवेक्षण हेतु	24	30000.00	2500.00	500.00	टैक्सी परमिट सहित चार पहिया वाहन छः लोगों को बैठने की पर्याप्त व्यवस्था हो (बोलेरो, टाटा सूमो, ट्रवेरा, इनोवा, वींगर, स्कार्पियो) नये वाहनो को वरीयता।





मुख्य चिकित्साधिकारी
आजमगढ़

पत्रांक-एन0एच0एम0/वाहन/निविदा/2017-18

4621-23

तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सेवा में ब्यूरो प्रमुख/सम्पादक को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विषयक विज्ञापन निविदा का प्रकाशन अधिकतम रू० 5000/- में एक दिन प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से प्रमाणित कराकर दो प्रतियों में प्रेषित करें।

✓ 2- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आजमगढ़ को इस आशय से कि निविदा प्रपत्र जनपद की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।

3- नोटिस बोर्ड कार्यालय अधोहस्ताक्षरी।

मुख्य चिकित्साधिकारी
आजमगढ़